राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

क्रमांकःराम/गोप/परिपत्र/2013/710 दिनांकः- 01/8/19

–:: परिपत्र ::–

विषयः– समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राजकाज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑनलाईन स्वयं द्वारा भरने के सम्बन्ध में ।

कार्मिक(क–1/गोपनीय प्रकोष्ठ)विभाग,राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकःप.13(76) कार्मिक / क–1/गो.प्र./2011 दिनांक 31.12.2018 द्वारा **समस्त राजपत्रित अधिकारियों** द्वारा प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी तक भरे जाने थे । जिसके क्रम मे मण्डल के परिपत्र क्रमांक/राम/गोप/परिपत्र/2013/04 दिनांक 3.1.19 द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के अधीन कार्यरत समस्त **राजपत्रित अधिकारियों (तहसीलदार/सहायक राजस्व लेखाधिकारी व अन्य)** को निर्देशित किया गया था कि वे अपना अचल सम्पत्ति विवरण 1 जनवरी 2019 की स्थिति में उक्त परिपत्र में दिए गए निर्देशानुसार अपनी SSO-ID से लॉग इन कर राजकाज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑनलाईन स्वयं द्वारा 31 जनवरी तक अपलोड करावें ।

इस क्रम मे कार्मिक(क–1/गो.प्र.)विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(76)कार्मिक/क–1/गो.प्र./2011दिनांक 24–जुलाई–2019 द्वारा जिन राजपत्रित अधिकारियों ने वर्ष 2018(1–जनवरी–2019) का अपना अचल संपत्ति विवरण ऑनलाईन नही भरा है ,को अंतिम अवसर देते हुए राजकाज सॉफ्टवेयर पर अपना अचल संपत्ति विवरण भरने के सम्बन्ध मे **31–अगस्त–2019** तक समय सीमा बढाई गई है । अतः आपके अधीन समस्त राजपत्रित अधिकारियों(तहसीलदारगणो/सहा.राजस्व लेखाधिकारी व अन्य) को अपना अचल संपत्ति विवरण 31 अगस्त–2019 तक आवश्यक रूप से अपलोड करने हेतु आवश्यक रूप से निर्देशित करावें ।

अंतिम अवसर 31 अगस्त–2019तक प्रदान करने के बावजूद भी जो राजपत्रित अधिकारी (तहसीलदार /सहायक राजस्व लेखाधिकारी व अन्य)अपना अचल संपत्ति विवरण अपलोड नही करते है, तो उनको देय वार्षिक वेतन वृद्धि,पदोन्नति एवं विजिलेंस क्लीयरेंस स्वीकृत नही की जावे । इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। 31 अगस्त–2019 के उपरान्त आफ लाईन अचल संपत्ति विवरण स्वीकार नही किये जायेंगे ।

(विनीता श्रीवास्तव)
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर ।

क्रमांकःसमसंख्यक/711-31 दिनांकः- 01/8/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– निजी सचिव,माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
2– संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क–1/गो.प्र.) विभाग,/राजस्व(ग्रुप–1)विभाग, राजस्थान, जयपुर
3– निजी सचिव,निबन्धक महोदय,राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर
4– निदेशक,स्वायत्त शासन विभाग,राजस्थान–जयपुर/ निदेशक,राज.राज्य आसूचना निदेशालय जयपुर
5– महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर ।
6– संभागीय आयुक्त समस्त/जिला कलक्टर समस्त/
7– आयुक्त,भू प्रबन्ध विभाग,राजस्थान, जयपुर/आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर / आयुक्त, सी0ए0डी0 चम्बल, कोटा
8– निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर ।/प्रधानाचार्य,एपीआरटी, टौंक ।
9–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर /आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर ।
10–रजिस्ट्रार, भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, योजना भवन, जयपुर ।
11–अध्यक्ष एवं एमडी,राजस्थान विद्युत वितरण निगम लि0 ज्योति नगर, जयपुर ।
12–मुख्य प्रबंधक,बीपीसीएल, कोटा–जोबनेर पाईप लाईन, कोटा /एम.डी. गेल इण्डिया लि0,जयपुर ।
13–मुख्य कार्यकारी अधिकारी,नगर निगम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर/बीकानेर/कोटा/उदयपुर
14–प्रबन्ध निदेशक, रीको लि0 जयपुर /मुख्य प्रबंधक,स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल उदयपुर/ जिप्सम नागौर
15–अधीक्षण अभियन्ता,नर्मदा सिंचाई परियोजना वृत जालौर
16–सचिव, विकास प्राधिकरण, जयपुर/अजमेर/कोटा /सचिव, राज0आवासन मण्डल, जयपुर ।
17–सचिव,नगरसुधारन्यास,अलवर/भीलवाडा/बीकानेर/गंगानगर/कोटा/उदयपुर/भिवाडी /चित्तौडगढ
18–मुख्य अभियन्ता, सार्व0निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर /मुख्य अभियन्ता,ई.गा.न.प. बीकानेर ।
19–अधीक्षण अभियन्ता, सानिवि वृत,अजमेर/नागौर/भरतपुर/बीकानेर/गंगानगर/जयपुर/सीकर/कोटा जोधपुर/सवाईमाधोपुर/उदयपुर ।
20–अतिरिक्त निबन्धक, वित्त एवं लेखा , राजस्व मण्डल, अजमेर ।
21–अति.निदेशक(कम्प्यूटर),राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित विभागों को ई–मेल हेतु प्रेषित है ।

निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर